राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

क्रमांकः एफ.28( )पार्ट V/राज.स्त.नि./कमेटी/टीएडी/18–19 दिनांकः 28.07.2021

सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना

वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक प्रवृत्ति के वनाधिकार पत्र जारी किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा व्यक्तिगत प्रवृत्ति के वनाधिकार पत्र प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाकर इन्हें विभिन्न प्रकार के लाभ देने के प्रयास किए जा रहे हैं, परन्तु अभी तक सामुदायिक प्रवृत्ति के वनाधिकार पत्र जारी होने के बावजूद ऐसे क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों को कराने हेतु कोई पृथक योजना नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में तद्नुसार यह निर्णय लिया गया है कि जिन क्षेत्रों हेतु सामुदायिक प्रवृत्ति के वनाधिकार पत्र जारी हो रहे हैं उन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां सम्पादित करने के लिए एक नई योजना चलाई जाए। इस योजना का नाम ''सामुदायिक वन अधिकार विकास योजना'' होगा।

इस योजना के अन्तर्गत उन क्षेत्रों में जिनके लिए सामुदायिक पत्र जारी किए गए है, में जल संग्रहण, वृक्षारोपण, फलदार पौधे लगाने, मछली पालन, चारागाह विकास, सामुदायिक भवन, वर्क शेड, प्रोसेसिंग सेंटर इत्यादि जैसे काम कराने के अतिरिक्त इन क्षेत्रों पर

आधारित जनजाति सामुदायिक केन्द्रों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं उपकरण इत्यादि प्रदान करने हेतु राशि स्वीकृत की जा सकेगी।

जिन जिलों में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी/उपायुक्त कार्य कर रहे है वहां स्वीकृति हेतु प्रस्ताव इन अधिकारियों द्वारा जिला कलक्टर को प्रस्तुत किए जाएंगी एवं बाकी के जिलो में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् प्राप्त प्रस्तावों को जिला कलक्टर को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे।

इन कार्यों के लिए आवश्यक स्वीकृतियां जिला कलक्टर द्वारा जारी की जाएगी। सामान्यतः किसी भी एक ऐसे क्षेत्र जिसके लिए सामुदायिक वन अधिकार पत्र जारी हुआ हो, हेतु रू. 10 लाख से अधिक की स्वीकृतियां जारी नहीं की जाएगी। रू. 10 लाख से अधिक धन राशि की आवश्यकता होने पर जिला कलक्टर द्वारा प्रस्ताव आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाएगें, जो प्रस्ताव की उपयोगिता के आधार पर इसे राज्य सरकार को आवश्यक अनुमोदन हेतु प्रेषित करेंगे।

इस योजना के तहत व्यक्तिगत प्रवृत्ति के कार्यों को नहीं कराया जा सकेगा तथा सामुदायिक प्रवृत्ति के कार्यों का सम्पादन मुख्यतः राजकीय विभागों/एजेन्सियों जैसे वन विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, भू–संरक्षण एवं जल संग्रहण विभाग, उद्यानिकी विभाग, स्वच्छ परियोजना इत्यादि से सम्पादित कराया जाएगा।

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

योजना के अन्तर्गत कराए जाने वाले कार्यों हेतु जिलों को राशि आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा आवश्यकतानुरूप उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यकारी विभागों/एजेन्सियों द्वारा उपलब्ध राशि के व्यय के संबंध में मासिक रिपोर्ट जिला कलक्टर को उपलब्ध करायी जाएगी। योजना के तहत जिला कलक्टर कार्यकारी विभागों/एजेन्सियों से उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को प्रेषित करेंगे।

यह योजना वित्त विभाग की आई डी संख्या 162100646 दिनांक 28.07.2021 द्वारा किये गये अनुमोदन के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्य में यह योजना विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, 2021 से लागू होगी।

(शिखर अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव.....
5. समस्त जिला कलक्टर.....
6. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्.....
8. सभी उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग.....

प्रमुख शासन सचिव